


129


कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

जिला सरगुजा के सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत पथराई बाकसाईट हेतु राजस्व भूमि 99.350 हे (छोटे झाड़ का जंगल) क्षेत्र बाकसाईट उत्खनन के गैर वानिकी प्रयोग के वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव :-

भाग-II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/MIN/14531/2015

| | | |
|------|--|--|
| I | परियोजना/स्कीम का स्थान | पथरई बाकसाईड माईन्स, ग्राम पथरई, तहसील मैनपाट, जिला-सरगुजा |
| I | राज्य/संघ शासित प्रदेश | छत्तीसगढ़ |
| II | जिला | सरगुजा |
| III | वन प्रभाग | सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर |
| IV | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि | मैनपाट परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पथरई के राजस्व वन भूमि रकबा -99.350 हे. |
| V | वन की कानूनी स्थिति | राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) |
| VI | वनस्पति का घनत्व | 0.0 |
| VII | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई /जलीय परियोजना के संबंध में एफ. आर.एल. एफ.एफ.आर.एल.-4मी. भ संलग्न किए जाए। | वन परिक्षेत्राधिकारी, मैनपाट के प्रतिवेदन क्रमांक/1095 दिनांक 08.08.2016 के अनुसार पथरई बाकसाईड माईन्स हेतु आवेदित कुल राजस्व वन भूमि 99.350 हे. क्षेत्र में वृक्ष स्थित नहीं है। |
| VIII | भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी | नगण्य |
| IX | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। | कक्ष क्रमांक पी-2342 से प्रस्तावित पथरई बाकसाईड माईन्स की अनुमानित दूरी 1.5 कि. मी. है। |
| X | क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए) | आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व एवं बाघ रिजर्व का भाग नहीं है। आवेदित क्षेत्र हाथी कोरिडोर का भाग नहीं है, परन्तु आवेदित क्षेत्र के आस-पास जंगली हाथियों का आवागमन यदा-कदा होता रहता है। |
| XI | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। | आवेदित क्षेत्र अंतर्गत वनस्पति एवं प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ स्थित नहीं है। |
| XII | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। | आवेदित क्षेत्र अंतर्गत पुरातत्विक/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान एवं अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित नहीं है। तदाशय का प्रमाण-पत्र कलेक्टर सरगुजा, जिला अम्बिकापुर का संलग्न है। |
| 2 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा सक्षम | ग्राम पथरई में प्रस्तावित राजस्व वन भूमि कुल रकबा 99.350 हे. बाकसाईट उत्खनन हेतु प्रस्तावित है। बाकसाईट खनिज का निक्षेप सीमित होने के कारण, बाकसाईट माईन्स हेतु |


D. P. Mishra
वन संरक्षण अधिकारी
सरगुजा वनमण्डल


उप वन मण्डलाधिकारी
सौराष्ट्र, उप वनमण्डल


D.F.O.
Surguja Division
Ambikapur (C.G.)

| | प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें। | क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। आवेदक संस्थान के द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र अनुसार वन भूमि की मांग न्यूनतम है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---|--------|-------|---|--------|---|--------|-------|---|--------|---|--------|-----------|---|--------|--------|--|--|--|---------|
| 3 | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं। | आवेदित क्षेत्र अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार | आवेदित क्षेत्र के बदले क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु राजस्व वन भूमि का चयन कलेक्टर सरगुजा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपरांत उच्च तकनिक सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु निम्नानुसार क्षेत्र में किया गया है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>तहसील</th> <th>ग्राम का नाम</th> <th>कुल खसरा संख्या</th> <th>प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र हे. में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>मैनपाट</td> <td>बरिमा</td> <td>8</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मैनपाट</td> <td>केसरा</td> <td>2</td> <td>53.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>लखनपुर</td> <td>डांडकेसरा</td> <td>3</td> <td>97.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">योग :-</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्तानुसार सिंचित वृक्षारोपण वर्ष 2016-17 से 2025-26 के लिये वर्तमान में निर्धारित दर अनुसार तैयार किया गया है।</p> | क्र. | तहसील | ग्राम का नाम | कुल खसरा संख्या | प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र हे. में | 1 | मैनपाट | बरिमा | 8 | 50.000 | 2 | मैनपाट | केसरा | 2 | 53.000 | 3 | लखनपुर | डांडकेसरा | 3 | 97.000 | योग :- | | | | 200.000 |
| क्र. | तहसील | ग्राम का नाम | कुल खसरा संख्या | प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र हे. में | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | मैनपाट | बरिमा | 8 | 50.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | मैनपाट | केसरा | 2 | 53.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | लखनपुर | डांडकेसरा | 3 | 97.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| योग :- | | | | 200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमिक वनक्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित राजस्व वन भूमि क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं मानचित्र, गुगल मैप सहित वृक्षारोपण प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। | रोपित की जाने वाली प्रजाति सागौन/बांस/आंवला/मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण योजना के अनुसार किया जावेगा। क्रियान्वयन एजेंसी वन विभाग, वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | प्रस्तावित सिंचित मिश्रित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के लिये कुल राशि 109131225.00 (रुपये दस करोड़ इक्यान्बे लाख एकतीस हजार दो सौ पच्चीस मात्र) का वित्तीय परिव्यय आंकलित है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए) | वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के साथ वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता एवं उपलब्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7(xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ध्यान
 डायर. पी. मातलकर
 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र मैनपाट


उप वन मण्डलाधिकारी
 सीतापुर उप वनमण्डल

D.F.O.
 Saraju Division
 Ambikapur (C.G.)


| | | |
|-----|--|--|
| 6 | प्रभाग / जिला प्रोफाईल | सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर |
| I | वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र | 4043.299 वर्ग कि.मी. |
| II | वनमण्डल का वन क्षेत्र | 144015.367 हेक्टेयर |
| III | 1980 के बाद कुल क्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ | 3079.851 हे. |
| IV | 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर | 3982.505 हे. |
| क | दण्ड स्वरूप प्रतिपूर वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि | निरंक |
| ख | वनत्तेर भूमि | निरंक |
| ट | वर्ष 2015-16 तक एक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति | 3982.505 हे. |
| क | वनभूमि | 3982.505 हे. |
| ख | वनत्तेर भूमि | निरंक। |
| 5 | कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें | आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ मिनिरल डेहव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डो.सी.) छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम है। आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम पथरई में प्रस्तावित बाक्सईट माईन्स, बाक्सईट निक्षेप (Deposit) होने के कारण प्रस्तावित किया गया है। बाक्सईट निक्षेप साईट स्पेसिफिक होने के कारण तथा राष्ट्र हित में परियोजना स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। |

तारीख :- 14.08.2016
स्थान :- अम्बिकापुर


वन संरक्षक अधिकारी
वन परिक्षेत्र भैरवाट


(मोहम्मद शाहिद)
"भा.व.से."

वन संरक्षक एवं
प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर


वन मण्डलाधिकारी
सीतापुर वनमण्डल